

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 83/वि०स०/संसदीय/०३(सं)/२०२२

लेखनकारी : दिनांक २० जनवरी, २०२४

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 79/वि०स०/संसदीय/०९(सं)/२०२२, दिनांक २० जनवरी, २०२४ के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष २०२४ का प्रथम सत्र दिनांक ०२ फरवरी, २०२४ से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलाहवां संस्करण) के निदेश संख्या-६ के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक ०९ फरवरी, २०२४ को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-८ को शिथिल करते हुए मंगलवार, दिनांक ३० जनवरी, २०२४ को तथा दिनांक १६ फरवरी, २०२४ को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका बुधवार, दिनांक ३१ जनवरी, २०२४ को अपराह्न ४:३० बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों/विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक ३० व ३१ जनवरी, २०२४ को अपराह्न ४:०० बजे तक दी जा सकेंगी। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकेंगे।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक ३० व ३१ जनवरी, २०२४ को अपराह्न ४:०० बजे तक इस सचिवालय में ऑनलाइन/लिखित दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प/विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 83(१)/वि०स०/संसदीय/०३(सं)/२०२२, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-१ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिपेंद्र कुमार द्विवेदी,
उप सचिव।